निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 52/2021
दायरा दिनांकः–28.07.2021
निर्णय दिनांकः– 13-5-24

उनवान

1. राजन्ती बाई आयु 38 वर्ष बेवा जगदीश जाति मीणा
2. हिमांशु आयु 18 वर्ष पुत्र जगदीश जाति मीणा
3. शुधांशु आयु 15 वर्ष पुत्र जगदीश जाति मीणा नबालिग सरपरस्त वली माता राजन्ती बाई बेवा जगदीश जाति मीणा निवासीगण ग्राम बावडीखेडा हाल निवासी बारां जिला बारां (राज0)

................वादीगण

बनाम

1. मदनलाल आयु 60 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति मीणा
2. हेमराज आयु 42 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा
3. मनोज आयु 40 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा
4. पुरूषोत्तम आयु 87 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

.... प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) एवं धारा 151 सी.पी.सी.
निर्णय दिनांकः– 13-5-24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायण लाल चौरसिया – प्रार्थी
2. श्री दौलतराम मीणा – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) एवं धारा, 151 सी..पी.सी. इस आशय का पेश किया गया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी पैत्रक है परन्तु आराजी अनुसूचित जन जाति की है इस जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट लागु नही होता है। अनुसूचित जन जाति में नाता प्रथा है तथा इसके तहत विधवा होने के बाद भाभी देवर के नाते बिठाया जाता है तथा मृतक कि सम्पतिया अन्य वंश गोत्र–परिवार में जाने से बचाना होता है इसलिए वादीया का देवर वादीया को नाते प्रथा पर धेदा प्रथा से रखने के लिए तैयार है उक्त वाद पत्र की वादीया के एक अनमेरिड [illegible] रूषोत्तम मौजुद है परन्तु वादीया देवर के नाते नही बैठकर सम्पत्तियों को [illegible] अन्यत्र बैठकर बेचान करना चाहती है वाद कारण कि दिनांक अंकित नही [illegible] से वाद चलने योग्य नही है। अनुसूचित जन जाति की प्रथा से वादिया मृतक पति व देवर दोनो कि सम्पत्तियों की हकदार हो जाती है वादीया पुलिस विभाग में अनुकम्पा नौकरी [illegible] है। सास–ससुर के नाम सात लाख रूपये आये थे। के भी वादीया ने यह कहकर लिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

था कि जमीन में हिस्सा नही लेनी वादीया के ससुर ने के.सी.सी के पैसो से वादीया के पति मृतक जगदीश को भू– खण्ड दिलवाया था उस पर वादिया मकान बनाकर रहती है अनुसूचित जाति की परम्परा का पालन नही करने की स्थिति में वाद चलने योग्य नही है विधि विरूद्ध है वाद पत्र खारिज फरमावे।

प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी (वादी) द्वारा पेश किया गया कि उक्त विवादित आराजी पैत्रक सम्पति सम्बन्धी कोई रिकार्ड पेश नही किया है प्रार्थीया के दो बडे–बडे लडके है ऐसी परिस्थिति में देवर के नाते बैठना सम्भव नही है अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन हडप करने के लिए जबरदस्ती नाते बैठाना चाहते है हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार पिता की सम्पति में पुत्र–पुत्रियों पोतो का हक अधिकार प्रापत है प्रार्थीया राजन्ती बाई के पति की मृत्यु के बाद अनुकम्पा नियुक्ति प्रार्थीया को मिली और क्षतिपूर्ति राशि भी प्रार्थीगण के नाम मिली है क्षति पूर्ति राशि के बाद तो जमीन नही लेने वाली सन्धि कमी नही हुई है प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागु नही होते है प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) का कथन है कि वादीया द्वारा बटवारे का दावा पेश किया है धारा 53 में बटवारां जब किया जाता है तब वह भूमि में सहखातेदार हो जब वादीया भूमि की खातेदार नही है तो उसे भूमि का बटवारां कैसे किया जा सकता है। वादीया द्वारा बटवारे का दावा पेश किया है इसलिए वादीया का दावा चलने योग्य नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीया का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11(क) एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत खारिज फरमावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी (वादी) द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अप्रार्थी (वादी) का कथन है कि वादीया का पति जगदीश का स्वर्गवास हो गया है वादीया का पति जगदीश मदनलाल का बेटा था। वादीया के पति जगदीश का अपने पिता मदनलाल जी की सम्पति में हिस्सा निहित है जिसे लेने का वादीगण को पूर्ण अधिकार है वादीया को अनूकम्पा नियुक्ति उसके पति की मृत्यु के बाद मिली है प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 17 [illegible] प्रतिवादी क्रम 1 मदनलाल के नाम हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम [illegible]ला सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 11 में मदनलाल के नाम हिस्सा 1/[illegible] दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि वादीया विवादित आराजी में सहखातेदार नही है वादी द्वारा धारा 53,188 आर.टी.ए. का वाद प्रस्तुत किया है वादीया सहखातेदार नही होने के कारण बटवारां किया जाना सम्भव नही है वादीया का वाद आदेश 7 नियम 11 (क) एवं धारा 151 सी.आर.पी.सी. के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:17 IST
Reason: SelfAttested

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) एवं धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है अतः वादीया का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:17 IST
Reason: SelfAttested